

कार्रवाई

आरक्षक पर हमला करने वाले 8 पर एफआईआर, 3 गिरफ्तार

आरक्षक को पीटने वाले आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस



घुघरी, नवभारत। समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली पुलिस पर हमला करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। बीती रात थाना घुघरी के अंतर्गत सलवाह चौकी के ग्राम भैंसवाही में एक आरक्षक पर हुए जानलेवा हमले के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने न केवल आरोपियों को गिरफ्तार किया, बल्कि गांव में फ्लैग मार्च निकालकर अपराधियों में कानून का खौफ भी पैदा किया।

जानकारी अनुसार घटना 7

जनवरी की रात लगभग 10.45 बजे की है। घटना की सूचना डायल 112 को मिली थी। सूचना मिलते ही डायल 112 कर्मी पहुंचे। जहां भैंसवाही में कुछ लोग एक युवक-युवती के साथ मारपीट कर रहे हैं। सूचना मिलते ही ड्यूटी पर तैनात आरक्षक अनिल मरकाम 30 वर्ष मौके पर पहुंचे। वहां चाबी मर्डई%से लौट रहे एक बाइक सवार जोड़े को भीड़ ने घेर रखा था। बताया गया कि जब आरक्षक ने बीच-बचाव कर जोड़े को बचाने का प्रयास किया, तो भीड़ में मौजूद असाामाजिक तत्वों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया।

आरोपियों ने आरक्षक की वर्दी का अपमान किया, उनका बैच नोच दिया और लात-घुसों से उनकी जमकर पिटाई की।

पुलिस ने कार्रवाई कर निकाला जुलूस

मामले को गंभीरता से लेते हुए गुरुवार को पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में और थाना प्रभारी पूजा बघेल के नेतृत्व में भारी पुलिस बल भैंसवाही ग्राम पहुंचा। पुलिस ने आरोपियों के घरों पर दबिश दी और गिरफ्तार किया। आरोपियों के साथ गांव की गलियों में फ्लैग मार्च निकाला।

8 पर मामला दर्ज, 5 की तलाश जारी

सहायक उप निरीक्षक चंद्र सिंह पट्टा द्वारा आरक्षक अनिल मरकाम की रिपोर्ट पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिसमें आरोपी अशोक कुमार उइके, करम सिंह मरकाम, जगत सिंह धुर्वे, फगन सरोते, श्रीजन मरावी, इंदलेश मरकाम, अनिल सरोते और शिवम धुर्वे पर मामला पंजीबद्ध कर धारा 191 (2), 191 (3), 190, 296 (बी), 121 (1), 351 (3), 221 के तहत किया गया

है। बताया गया कि वर्तमान में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फरार अन्य 5 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।

इनका कहना है

आरक्षक के साथ मारपीट करने वाले आठ आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। तीन आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है, शेष पांच आरोपियों की तलाश जारी है, उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

पूजा बघेल, थाना प्रभारी, घुघरी



शिकार के लिए बिछाए करंट से युवक की मौत

एक गंभीर घायल, खलौड़ी के 6 खेतों में फैला था तारों का जाल, बिछिया पुलिस कर रही जांच

भुआबिछिया, नवभारत। बिछिया थाना क्षेत्र के ग्राम खलौड़ी में वन्यजीव शिकार के लिए बिछाए गए करंट युक्त तार की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए बिछिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।

जानकारी अनुसार अज्ञात लोगों ने वन्यजीवों का शिकार करने के उद्देश्य से जीआई तार में करंट फैलाकर खेतों में जाल बिछा दिया था। यह तार खलौड़ी गांव के

छह किसानों के खेतों से होकर करीब डेढ़ किलोमीटर तक फैला हुआ था। बताया गया कि बीती रात गांव के ही नीलेश पिता गजमराम (18) और लवकेश पिता डाल सिंह (16) किसी काम से खेतों की ओर गए थे। इसी दौरान सीताराम राजपूत के खेत को पार करते समय दोनों जीआई तार के संपर्क में आए। करंट की चपेट में आने से नीलेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लवकेश गंभीर रूप से घायल हो गया।

सुबह घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने बिछिया

पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया तथा शिकार के लिए बिछाए गए करंटयुक्त तार को जब्त कर लिया है। इस संबंध में बिछिया टीआई रंजीत सैयाम ने बताया कि वन क्षेत्र से लगे इलाके में अज्ञात लोगों द्वारा शिकार के लिए करंटयुक्त तार लगाया गया था, जिसकी चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी।

इको क्लब द्वारा बांस एवं लकड़ी शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन



► शासकीय महाविद्यालय नारायणगंज के विद्यार्थियों ने बांस से बनाई जल कुंडी और कलाकृतियां, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश।

नारायणगंज। शासकीय महाविद्यालय नारायणगंज में पर्यावरण मंत्रालय और पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन के निर्देशानुसार पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत एक शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के इको क्लब के माध्यम से आयोजित इस प्रदर्शनी

में विद्यार्थियों ने बांस और लकड़ी पर आधारित अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनी में बीए, बीएससी एवं बीकॉम के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों ने बांस का उपयोग कर दैनिक जीवन और तकनीक से जुड़ी कई आकर्षक वस्तुएं तैयार कीं, जिनमें मुख्य रूप से बांस की टोकरियां और बोतलें, नाश्ता ट्रे और सजावटी आवासीय घर, बांस से निर्मित जल चलित चक्री

प्रदर्शित की गई।

कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य एडमोन लकड़ा द्वारा की गई। इको क्लब के प्रभारी डॉ. अखिलेश पटेल ने विद्यार्थियों को थीम आधारित शिल्प बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि बांस और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को उनकी रचनात्मकता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए बधाई दी।

इनका रहा सहयोग

कार्यक्रम के सफल संचालन में महाविद्यालय के स्टाफ का विशेष योगदान रहा। स्पोर्ट्स ऑफिसर निलेश चौरा सहित डॉ. रश्मि चौबे, डॉ. ज्योति बघेल, डॉ. विजया दुबे और डॉ. आरती काछी ने अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया। इस दौरान महाविद्यालय के अन्य विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे और प्रदर्शनी का अवलोकन किया।



देवरी में गूंजे भगवान श्रीकृष्ण के जयकारे, धूमधाम से मनाया जन्मोत्सव

► श्रीमद् भागवत कथा में राम-सीता विवाह के प्रसंग पर झूमे श्रद्धालु

नारायणगंज। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र नारायणगंज के ग्राम देवरी में इन दिनों आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा है। समस्त ग्रामवासियों और महिला मंडल के सहयोग से आयोजित नौ दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ

दिवस पर भक्ति का अनुपम दृश्य देखने को मिला। कथा व्यास पंडित कृष्णगोपाल पाण्डेय ने प्रभु श्री राम के आदर्श जीवन और भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव का मनोहारी वर्णन किया।

कथा के दौरान कथा व्यास पंडित कृष्णगोपाल पाण्डेय ने श्री राम-सीता विवाह के प्रसंग को विस्तार से सुनाते हुए बताया कि भगवान राम का अवतार अधर्म के विनाश और मर्यादा की स्थापना के लिए हुआ था। उन्होंने शिव

धनुष भंग और राजा जनक की प्रतिज्ञा का सजीव वर्णन किया। जैसे ही व्यास पीठ से राम-सीता विवाह की रस्में सुनाई गईं, पूरा पंडाल सियावर रामचंद्र की जय के नारों से गूंज उठा। कथा व्यास पंडित कृष्णगोपाल पाण्डेय ने बताया कि राम-सीता का वैवाहिक जीवन आदर्श परिवार और समाज की नींव है, जिससे आज की पीढ़ी को संस्कार सीखने चाहिए।

कृष्ण जन्मोत्सव पर झूम

उठे भक्त-कथा के उत्तरार्ध में जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय आया, समूचा आयोजन स्थल गोकुल धाम में परिवर्तित हो गया। शिव ध्वनि, पुष्प वर्षा और सोहर गीतों के बीच भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। नन्हे बाल स्वरूप के दर्शन पाकर श्रद्धालु भाव-विभोर हो गए। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के भजनों पर महिला मंडल और ग्रामवासियों ने जमकर नृत्य किया। भगवान को माखन-मिश्री

का भोग लगाया गया और खिलौने व मिठाइयां बांटी गईं। भक्तिमय हुआ वातावरण-ग्राम देवरी में सुबह से ही शंख ध्वनि और हरि नाम संकीर्तन से माहौल पवित्र बना हुआ है। महिला मंडल की सक्रिय भागीदारी और ग्रामवासियों की अटूट आस्था ने इस आयोजन को एक उत्सव का रूप दे दिया है। प्रतिदिन भारी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण कर पुष्प लाभ अर्जित कर रहे हैं।

आईजी ने विद्यार्थियों को सिखाए यातायात के नियम, बांटे हेलमेट

► उत्कृष्ट विद्यालय में गूँजा सुरक्षा का मंत्र

बिनेका। पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट रंज संजय कुमार के मार्गदर्शन में जिले में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के तहत व्यापक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के निर्देशन में आयोजित इन कार्यक्रमों के माध्यम से छात्र-छात्राओं और आम नागरिकों को सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया। जानाथ उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य कल्याण नामदेव ने आईजी संजय कुमार का स्वागत कर किया।



आयोजित कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में साइबर सेल की जानकारी दी। यातायात सुबेदार योगेश ने ट्रिप एंडर रन योजना और केशलेश इलाज की प्रक्रियाओं को समझाया। डीएसपी सतीश चतुर्वेदी ने पॉक्सो अधिनियम के महत्व पर प्रकाश डाला। एससपी

शिवकुमार वर्मा ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप की जानकारी दी।

प्रश्नोत्तरी में जीते हेलमेट-मुख्य अतिथि आईजी ने छात्रों से सीधा संवाद कर कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मृत्यु दर का मुख्य कारण जागरूकता की कमी है। इस दौरान एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें सही

उत्तर देने वाले मेधावी छात्रों को आईजी द्वारा हेलमेट पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए गए।

ग्राम बिनेका में हुआ जन-संवाद-जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिनेका में जन-संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहां आईजी और एसपी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और मौके पर ही निराकरण के निर्देश दिए। कार्यक्रम के समापन पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण किया। इस अवसर पर एसडीओपी पोथु मिश्रा, कोतवाली प्रभारी शफाक खान, यातायात प्रभारी ललित धुर्वे, महिला थाना प्रभारी आरती तेकाम, अखिलेश उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में शिक्षक और पुलिस बल उपस्थित रहा।

► ग्राम सुखराम में पशुओं पर अज्ञात बीमारी का कहर, जिला प्रशासन से विशेष टीम भेजने की मांग

बबलिया। नारायणगंज जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत सुखराम में इन दिनों मवेशियों में फैली एक अज्ञात बीमारी ने पशुपालकों की नींद उड़ा दी है। बीते कुछ दिनों में यहाँ लगभग 10 मवेशियों की मौत की खबर सामने आई है, जिससे ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है। ग्रामीण इस घटना को किसी गंभीर संक्रमण से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि शुरूआती जांच में पशु चिकित्सा विभाग के दावे अलग हैं। सरपंच कमल सिंह मरावी ने बताया कि गांव में लगातार पशुओं की जान जा रही है।



पशुपालक ज्ञान सिंह की गायों की मौत हुई है, वहीं सिंह और का बैल भी इस बीमारी की भेंट चढ़ गया। इसके अलावा कमल मरावी का बैल, हृदय और अरविंद की गायों की भी मृत्यु हो गई है। लगातार हो रही इन मौतों से किसानों को भारी आर्थिक क्षति हुई है।

अनपच और गैस बनी

मौत का कारण

सूचना मिलते ही पशु चिकित्सालय

बबलिया से डॉ. अंजनी सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, डॉ. कंचन कुशवाहा की टीम मौके पर पहुंची। डॉक्टरों द्वारा मृत पशुओं का पोस्टमार्टम किया गया। डॉक्टर अंजलि के अनुसार प्राथमिक जांच में मवेशियों की मृत्यु का कारण अनपच बताया गया है, जिससे पेट में अत्यधिक गैस बनी और पशुओं की जान चली गई। टीम द्वारा बीमार पशुओं का उपचार भी लगातार किया जा रहा है।

फड़की रैयत के ग्रामीणों को 4 माह से नहीं मिला अनाज

► नारायणगंज जनपद अध्यक्ष ने एसडीएम और खाद्य विभाग को सौंपी रिपोर्ट

बबलिया। विकासखण्ड नारायणगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत फड़की रैयत और फड़की माल के ग्रामीण पिछले चार महीनों से दाने-दाने को मोहताज हैं। मध्यप्रदेश विपणन संघ द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान के विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को राशन वितरण नहीं किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। ग्रामीणों के बढ़ते आक्रोश के बीच जनपद अध्यक्ष नारायणगंज आशाराम भारतीय ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए अनुविभागीय अधिकारी निवास और खाद्य विभाग के उच्च अधिकारियों से तत्काल कार्यवाही की मांग की है। क्षेत्र के प्रवास पर पहुंचे जनपद



अध्यक्ष आशाराम भारतीय को ग्रामीणों ने बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत संचालित इस दुकान के विक्रेताओं ने पिछले चार माह से गरीबी रेखा के तहत मिलने वाले खाद्यान्न का वितरण नहीं किया है। राशन न मिलने से गरीब परिवारों के सामने जीवन-यापन का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने जनपद अध्यक्ष के समक्ष लिखित पंचनामा प्रस्तुत करते हुए मांग की है कि वर्तमान में विपणन संघ के समूहों के माध्यम से संचालित इस व्यवस्था को तत्काल बंद किया जाए। फड़की रैयत,

फड़की माल और ग्राम पंचायत सिवनी को मिलाकर एक नई शासकीय उचित मूल्य की दुकान खोली जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि जब से विपणन संघ के समूहों ने वितरण का जिम्मा लिया है, तब से अनियमितताएं बढ़ गई हैं। जनपद अध्यक्ष आशाराम भारतीय ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस विषय पर जिला प्रशासन और खाद्य विभाग से बात करेगा ताकि रुका हुआ राशन जल्द वितरित हो सके और लापरवाह विक्रेताओं पर कार्यवाही की जा सके।

पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

निवास. अपर सत्र न्यायालय निवास ने मामूली विवाद के दौरान पत्नी की हत्या करने के मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन जिला मंडल के अनुसार थाना निवास के अपराध क्रमांक 76/2022 से संबंधित सत्र प्रकरण क्रमांक 05/2022 में यह निर्णय 7 जनवरी 26 को सुनाया गया। न्यायालय ने ग्राम खुदरी निवासी आरोपी धरम सैयाम को भार्दवी की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार खुदरी गांव में पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। विवाद के दौरान महिला अपने घर के कमरे में मृत अवस्था में पाई गई, जिसके फिर में गंभीर चोट थी और खून बह रहा था। मृतिका

नेमबाई सैयाम एवं आरोपी धरम सैयाम के बीच झगड़ा हो रहा था। मृतिका की सास छोटी बाई सैयाम ने दोनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बाद दोनों कमरे के अंदर चले गए। कुछ देर बाद नेमबाई के चीखने की आवाज आई। मौके पर पहुंचने पर वह जमीन पर पड़ी मिली उसकी मृत्यु हो चुकी थी। घटना स्थल से प्राप्त साक्ष्य एफएसएल जांच के लिए भेजे गए। विवेचना पूर्ण होने के बाद मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निवास उज्जला उईके द्वारा किया गया।

अब दो-पहिया वाहन के साथ दो हेलमेट खरीदना अनिवार्य

► एसडीएम कार्यालय में वाहन विक्रेताओं की बैठक आयोजित

बम्हनी बंजर। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और दो-पहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिला आयुक्तों द्वारा सड़क सुरक्षा और निरीमों के पालन के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इसी को लेकर एसडीएम कार्यालय में अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में जिले के समस्त दो-पहिया वाहन विक्रेताओं की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने सभी वाहन विक्रेताओं को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे वाहन विक्रय करते समय ग्राहक को अनिवार्य रूप से



2 हेलमेट विक्रय करें। इसके साथ ही हेलमेट विक्रय की रसीद को नवीन वाहन पंजीयन के समय वाहन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा।

नियम न मानने पर

होगी सख्त कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का पालन न करने वाले

विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। विक्रेताओं को सचेत किया गया है कि वे पंजीयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। आयोजित बैठक में जिला परिवहन अधिकारी बिमलेश कुमार गुप्ता, यातायात प्रभारी ललित धुर्वे समेत समस्त दो-पहिया वाहन विक्रेता मौजूद रहे।